न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.– 91 / 2018 — दिनांक–5.12.18

सरकार बनाम शिम्भू वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नागल पण्डितपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय से पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307 / 47.16है0 किस्म जमीन गैर मु0 नदी में शिम्भू, रामोतार, भींवा पुत्र मक्खन जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 0.01 है0 पर बोंरिग कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायलानों में से रामावतार उपस्थित आये एवं जवाब प्रेषित नही किया गया। जवाब पेश करने के लिए बार–बार अवसर दिये गये लेकिन कोई जवाब पेश नही किया गया लिहाजा गैर सायलान को अतिक्रमी मानते हुये बोंरिग को धवस्त कर के बेदखल किया जावें।

अतः गैर सायलान शिम्भू, रामोतार, भींवा पुत्र मक्खन जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के ख0न0 307 / 47.16है0 किस्म जमीन गैर मु0 नदी में से 0.01है0 पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बोंरिग को धवस्त करते हुये गैरसायलान को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं बिजली विभाग को अगर विद्युत कनेक्शन पाया जावे तो कनेक्शन विच्छेद करने के आदेश दिये जाते है। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.11 का पचास गुणा 6 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0अ0नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 05.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2018 019 के रा० लें० 4
के पृष्ठ संख्या 06 पर 10
6 रुपये कायम किये गये।
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली